कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कार्यो का प्रभावी एवं सुगम संचालन सुनिश्चित करने हेतु आयोग में रजिस्ट्री अनुभाग का गठन किया गया है । रजिस्ट्री अनुभाग के द्वारा ही शिकायतों/अपीलों के पंजीकृत किए जाने के पूर्व उनका अधिनियम/नियमों/न्यायालय आदेशों के प्राविधानों के आलोक में आयोग के रजिस्ट्रार के द्वारा परीक्षण किया जाता है । इस कार्य में रजिस्ट्रार की सहायतार्थ एक शोध अधिकारी की व्यवस्था की गयी है । शोध अधिकारी रजिस्ट्रार के नियंत्रणाधीन सहायक के रुप में कार्य करेंगे ।

रजिस्ट्रार के अतिरिक्त, शोध अधिकारी भी आयोग में संस्थापित होने वाली शिकायतों/अपीलों तथा अन्य अभिलेखों का परीक्षण करेंगे एवं परीक्षण टिप्पणी को हस्ताक्षरित करेंगे ।

शोध अधिकारी रजिस्ट्रार अथवा मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन करेंगे ।

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सूचना आयुक्त

उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग, लखनऊ ।

पत्र सं0 687 /मु0सू0आ0/कैम्प/2015, दि0 26 अगस्त, 2015

उपरोक्त आदेश की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– समस्त सूचना आयुक्त, उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग, लखनऊ ।
2– सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग ।
3– रजिस्ट्रार, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ ।
4– उपसचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग ।
5– गार्ड फाइल ।

(एस0के0 ओझा)
सचिव